भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1156

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएमएचएम के अंतर्गत पैनलबद्ध मानसिक परामर्शदाता

1156. श्रीमती अपरूपा पोद्दार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2023 में देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पैनलबद्ध परामर्शदाताओं की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2023 में जिला-वार कितने शिक्षकों/परामर्शदाताओं को अपने छात्रों में जीवन कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाजनक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का देश में छात्रों और युवा वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कोई अध्ययन कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों/जिलों को जिला-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो एस.पी.सिंह बघेल)

(क): सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक डीएमएचपी के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले बाह्य रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) जो एनएमएचपी का एक घटक है, के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी डीएमएचपी इकाइयों में 461 नैदानिक मनोचिकित्सक/प्रशिक्षित मनोचिकित्सक और 545 मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता/मनश्चिकित्सा में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आरसीआई द्वारा

रखे गए केन्द्रीय पुनर्वास पंजीकृत (सीआरआर) में 3551 नैदानिक मनोचिकित्सक, 2828 पुनर्वास मनोचिकित्सक और 209 पुनर्वास प्रैक्टिशनर हैं।

(ग): वर्ष 2023 में, एनसीईआरटी ने देश भर में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 517 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और छात्रों के बीच जीवन कौशल को बढ़ावा देने और कक्षाओं में कार्यकलापों का संचालन करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञों,रिसोर्स पर्सन प्रमुख विशेषज्ञों, मास्टर प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य और आरोग्य राजदूतों के लिए इसी तरह के अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वावधान में, एनसीईआरटी ने "प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री: स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण" शीर्षक से एक व्यापक पैकेज विकसित किया है। "भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य" पर एक विशिष्ट मॉड्यूल शामिल किया गया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित कार्यकलाप हैं। दिसंबर, 2023 तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 402 जिलों में लगभग 6.72 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य राजदूतों (एचडब्ल्यूए) और लगभग 2.9 लाख स्कूल प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित और उन्मुख किया गया है।

एनसीईआरटी ने अप्रैल, 2020 में देश भर के स्कूली छात्रों को उनकी चिंताओं को साझा करने में मदद करने के लिए 'स्कूली बच्चों के लिए एनसीईआरटी परामर्श सेवाएं' शुरू की हैं। यह सेवा देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 270 परामर्शदाताओं द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 12 के लिए दोपहर 12 बजे ईविद्या डीटीएच-टीवी चैनलों पर 'सहयोग: बच्चों के मानसिक कल्याण के लिए मार्गदर्शन' पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन प्रसारित किए जाते हैं। तनाव और चिंता से निपटने के लिए, योग पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो 1 सितंबर, 2020 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए 12 डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं और डिजिटल साधनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी दीक्षा में भी उपलब्ध कराया जाता है।

(घ): शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के निर्देश पर, एनसीईआरटी में मनोदर्पण प्रकोष्ठ ने जनवरी-मार्च, 2022 के बीच "स्कूली छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण" सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, राज्य बोर्ड के सरकारी स्कूलों, केंद्रीय तिब्बती स्कूलों, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों, सैनिक स्कूलों, आरआईई में प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूलों (डीएमएस) और निजी स्कूलों जैसे विभिन्न प्रकार के स्कूलों के कक्षा 6 से 12 के कुल 3,79,842 छात्रों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 6 सितंबर, 2022 को (https://manodarpan.education.gov.in/assets/downloads/Mental_Health_WSS_A_Survey.pdf पर जारी की गई थी)।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक -I

वर्ष 2023-24 (अप्रैल 23-दिसंबर 23) के लिए मानसिक रोग ग्रस्त बाह्य रोगी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24 (अप्रैल 23 - दिसंबर 23) *
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12287
2	आंध्र प्रदेश	334456
3	अरुणाचल प्रदेश	414
4	असम	81632
5	बिहार	73716
6	चंडीगढ़	50984
7	छत्तीसगढ़	200208
8	दिल्ली	217792
9	गोवा	4835
10	गुजरात	381958
11	हरियाणा	190411
12	हिमाचल प्रदेश	66367
13	जम्मू और कश्मीर	84182
14	झारखंड	29138
15	कर्नाटक	560895
16	केरल	504294
17	लद्दाख	4486
18	लक्षद्वीप	2160
19	मध्य प्रदेश	213442
20	महाराष्ट्र	398027
21	मणिपुर	8703
22	मेघालय	12133
23	मिजोरम	8172
24	नागालैंड	6838
25	ओडिशा	128089
26	पुदुचेरी	32995
27	पंजाब	185618
28	राजस्थान	517887
29	सिक्किम	4252
30	तमिलनाडु	981200
31	तेलंगाना	65976
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4896
33	त्रिपुरा	6659
34	उत्तराखंड	21233
35	उत्तर प्रदेश	473792
36	पश्चिम बंगाल	831256
	भारत	6701383

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान एनएचएम के तहत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए फ्लेक्सिबल पूल के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के लिए अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.00	25.60	22.55
2	आंध्र प्रदेश	300.30	1184.53	1395.32
3	अरुणाचल प्रदेश	177.40	69.30	242.00
4	असम	341.17	367.03	388.42
5	बिहार	226.75	628.75	187.50
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	258.21	602.72	1063.65
8	दादरा और नागर हवेली	3.07	0.54	15.44
9	दमन और दीव			
10	दिल्ली	84.00	0.00	0.00
11	गोवा	16.60	47.35	44.40
12	गुजरात	562.70	794.74	834.85
13	हरियाणा	55.27	174.92	130.97
14	हिमाचल प्रदेश	30.92	57.51	53.00
15	जम्मू और कश्मीर	219.50	197.50	145.00
16	झारखंड	18.07	124.71	220.74
17	कर्नाटक	649.30	1165.46	1713.24
18	केरल	318.75	692.90	872.65
19	लद्दाख	0.00	21.00	116.89
20	लक्षदवीप	7.80	14.60	17.03
21	मध्य प्रदेश	214.94	236.65	247.54
22	महाराष्ट्र	471.14	1311.00	992.00
23	मणिपुर	288.96	281.64	396.04
24	मेघालय	102.00	213.80	174.40
25	मिजोरम	38.89	57.50	60.30
26	नागालैंड	143.00	252.47	161.61
27	ओडिशा	191.10	474.25	513.82
28	पुडुचेरी	12.74	67.09	52.59
29	पंजाब	305.20	199.90	293.00
30	राजस्थान	577.60	529.49	402.40
31	सिक्किम	50.40	103.60	48.27
32	तमिलनाडु	155.90	564.26	1464.70
33	तेलंगाना	1024.72	0.00	254.75
34	त्रिपुरा	28.80	66.00	69.10
35	उत्तर प्रदेश	1382.84	2232.43	2763.83
36	उत्तराखंड	45.12	50.14	60.90
37	पश्चिम बंगाल	89.90	464.36	555.82
कुल		**8413.06**	**13273.74**	**15974.72**

नोट:

1. उपर्युक्त आंकडे़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई और उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं।

****